# दो - भाग निविदा



# हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कोनिफर परिसर, पंथाघाटी, शिमल- 171013

2018-19



# हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान

# HIMALAYAN FOREST RESEARCH INSTITUTE (Indian Council of Forestry Research & Education)

Conifer Campus, Panthaghati, Shimla - 171 013

PHONE: 0177-2816127; FAX: 0177-2626779; E-MAIL: po\_hfri@icfre.org

#### N:. 1-3(3)/2018/HFRI/ निविदा आमन्त्रित करने हतु सूचना

1. विभिन्न प्रकार के मानव श्राक्ति के लिए एकल स्तर प्रणाली पर दो-भाग निविदा ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं । ऑफलाइन निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

2. नीचे दिए गए निविदा महत्वपूर्ण तारीख श्रीट के अनुसार, निविदा दस्तावेज एचएफआरआई की वेब साइट <a href="http://hfri.icfre.gov.in">http://hfri.icfre.gov.in</a> (केवल संदर्भ के लिए) और सीपीपीपी साइट, <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> से डाउनलोड की जा सकती हैं

विषय	महत्व पूर्ण	दिनांक/समय	स्थान
प्रकाशित तिथि	23.03.2018	4: 00PM	एचएफआरआई/आईसीएफआरआई
			वेबसाइट और सीपीपी पोर्टक
निविदा दस्तावेज	23.03.2018	5: 00PM	केंन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल
डाउनलेड			(CPPP)
प्री-बिड सम्मेलन के लिए	26.03.2018	11: 00AM	खरीद अनुभाग, एचएफआरआई
नियत तारीख			
निविदा प्रस्तुत करने की	26.03.2018	3: 00PM	सीपीपी पोर्टल
तारीख			
निविदा जमा करने की	23.04.2018	5: 00PM	सीपीपी पोर्टल
समाप्ति तिथि			
तकनीकी निविदा के	25.04.2018	11: 00AM	सीपीपी पोर्टल/खरीद अनुभाग,
खुलने की तारीख			एचएफआरआई
वित्तीय निविदा के लिए	तकनीकी मूल्यांकन	के बाद निर्णय लिया	सीपीपी पोर्टल
खोलने की तिथि	जाएगा ।		

क्रय अधिकारी हि.च.अ.सं., श्लिमला

March, 2018

Date:

(मूल्य रूपये 590)

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान परिसर शिमला व हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित संस्थान के विभिन्न केन्द्रों में

सुरक्षा कर्मियों/ ड्राईवर/ सपाई कर्मी/प्लम्बर/ विद्युत कर्मचारी/ मजदूर आदि की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने हेतु निविदाएं

> हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला कॉनिफर कैम्पस, पंथाघाटी, शिमला—171013 (हिमाचल प्रदेश)

### अग्रेषण पत्र (निविदा पार्टी द्वारा भरा जाना है)

सेवा में,

निदेशक,

एच.एफ.आर.आई., कॉनिफर कैम्पस, पंथाघाटी, शिमल्म -171013 (हि.प्र.)

विषयः

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान परिसर, श्चिमला व हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में स्थित संस्थान के विभिन्न केन्द्रों में सुरक्षा कर्मियों/ ड्राईवर/ सपाई कर्मी/ प्लम्बर/ विद्युत कर्मचारी/ मजदूर आदि की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने हेतु निविदा—बारे

संदर्भः आपका टैंडर नोटिस दिनांक

महोदय.

मैं/ हम 01.06.2018 से 31.03.2019 के लिए सुरक्षा किमयों/ ड्राईवर/ सपाई कर्मी/ प्लम्बर/ विद्युत कर्मचारी/ मजदूर आदि की सेवाएं संविदा के आधार पर उपलब्ध करवाने के लिए अपनी टैंडर बिड प्रस्तुत करते हैं । मैं/ हम निर्धारित समयानुसार उक्त सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबन्धित होगें । मैंने / हमनें निविदा दस्तावेज में दी गई श्रतों को पूर्ण रूप से समझ लिया है तथा कान्टेक्ट श्रतों को पूर्णतः जॉच लिया है । मैंने/ हमने कान्टेक्ट के स्वभाव (nature) को भली-भांति समझ लिया है तथा संस्थान को उक्त सेवाएं निर्धारित समयानुसार 01.06.2018 से 31.03.2019 के लिए उपलब्ध करवाने हेतू सहमत हैं ।

तदानुसार, हम इसके साथ ई एम डी और निविदा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न कर रहे हैं ।

भवदीय,

निविदाकार/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पता व दुरभाष न० सहित

# हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, श्रिमला

## टैंडर फॉम ए

1. निविदाकर्ता का नाम व पता (स्पष्ट अक्षरों में )		
2. विशिष्टता और विवरणः <b>भाग I</b>		
3. टैडर फीस का ब्यौराः		
राशि रूपये ड्राफ्ट बैंकर चैक न० दिनांक	का	नाम
4. Earnest Money का विवरणः		
राशि रूपये ड्राफ्ट बैंकर चैक न० दिनांक	का	नाम
मैं/ हम निविदा प्रपत्र में दिए गए नियमों और शल्तों को स्वीकार करते हैं ।		
दिनांक		
स्थान <b>तारीख और मुहर के साथ निविदाकर्ता के</b>	हस्त	११क्षर

## वार्षिक वित्तीय कारोबार का टर्नओवर प्रमाण्पत्र

1.	यह प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी/एजेंसी नामतः	
	का वार्षिक वित्तीय टर्नओवर रूपए	है ।
2.	नवीनतम दस्तावेज (Latest Documents) जो आयकर विभाग/ सरकार द्वारा प्राधिकृत लेखा	परीक्षक या
	ऐसे अन्य जो इससे संबंधित है द्वारा प्रमाणित हो ।	

प्रबंध निदेशक/ कम्पनी का मुख्य/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पता व दुरभाष न० सहित

# टेंडर दस्तावेजों को भरने के लिए निर्देश

यदि जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए लिए स्थान अपर्याप्त हो तो एक अलग पत्रक अनुलग्न (Attach) की जा सकती हैं।

निविदा दस्तावेजों के साथ निम्निलेखित प्रमाण्पत्रों की स्कैन की गई हस्ताक्षरित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है । किसी भी संदेह के मामले में मूल प्रति रूपष्टीकरण हेतु मांगी जा सकती है ।

Sl. No.	Particulars	Whether enclosed or not	Page No.
1	पीडीएफ प्रारूप में निविदाकार/फर्म के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की		
	हस्ताक्षरित और और स्कैन की हुई कॉपी ।		
2	पीडीएफ प्रारूप में पैन नंबर की कॉपी ।		
3	पीडीएफ प्रारूप में हस्ताक्षरित व स्कैन किए गए पिछले तीन साल के आयकर की कॉपी ।		
4	पीडीएफ प्रारूप में ई.पी.एफ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरित व स्कैन की हुई कॉपी ।		
5	पीडीएफ प्रारूप में जी.एस.टी. पंजीकरण की हस्ताक्षरित व स्कैन की हुई कॉपी ।		
6	पीडीएफ प्रारूप में पिछले पांच साल (28.02.2018 तक) में इसी प्रकार के कार्यों के निष्पादन के दावे के समर्थन में दस्तावेजी सबूत व कम्पनी की बैलेंस शीट ।		
7	पीडीएफ प्रारूप में हस्ताक्षरित व स्कैन निविदा शुल्क की प्रतिलिपि ।		
8	पीडीएफ प्रारूप में हस्ताक्षरित व स्कैन ईएमडी की प्रति ।		
9	पीडीएफ प्रारूप में ईएमडी छूट प्रमाण कर स्कैन की हुई कॉपी, यदि निविदाकार्ता पर लगू हो ।		
10	पीडीएफ प्रारूप में ई.पी.एफ, ई.डी.एल.आई, जी.एस.टी. के पिछले चालान की प्रतियां ।		
11	पीडीएफ प्रारूप में वार्षिक वित्तीय टर्नओवर की अंडरटेकिंग ।		
12.	पीडीएफ प्रारूप में आवासीय पता संबंधित दस्तावेज-बिजली/टैलीफोन/पानी बिरू इत्यादि की प्रति ।		
13.	हस्ताक्षरित व स्कैन किए गए जी एस टी एन नं० की कॉपी ।		

• निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत सभी संलग्न कागजातों को निविदाकर्ता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।

- संलग्न किए गए सभी पृष्ठों एवं परिशिष्टों को निविदाकर्ता द्वारा क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।
- निविदा प्रपत्र में सभी प्रविशिष्टियों को स्पष्ट रूप में भरा जाना चाहिए । कोई अधिलेखित (Overwriting) करने की अनुमित नहीं है । सभी किटंग को निविदाकर्ता द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए ।
- श्रिमिकों की विभिन्न श्रेणी की मासिक मजदूरी भारत सरकार और हि.प्र. राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम -1948 के अंतर्गत निर्धारित वर्तमान दर (जो भी अधिक हो) के अनुसार होने चाहिए।
- निदेशक, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला बिना किसी कारण बताए सभी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है।

नोटः सर्विस चार्ज प्रतिश्चत (%age) में नहीं दर्शाया जाना चाहिए । यह रूपयों में होना चाहिए । श्रून्य सेवा श्रूल्क के साथ बोलियों स्वीकार नहीं की जाएगी ।

## भुगतान की शर्ते

### अनुबंध के नियम और शर्तों के पैरा (9) का संदर्भ छें)

1. ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार कुश्ल/अर्छ्ककुश्ल/अकुश्ल मजदूरों को न्यूनतमे मजदूरी का भुगतान करेगा :-

i.	सुरक्षा कर्मी	मुख्यतः भूतपूर्व सैनिक/अद्धसैनिक/गृह रक्षक
ii.	आउटडोर गृह व्यवस्था बनाए	अकुश्चल/अर्छ कुश्चल/ संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट
	रखने के लिए स्टॉफ	
iii.	चालक	कुञ्चल/ संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट
		(Heavy duty License holder)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 सभी सुरक्षा कर्मियों तथा संस्थान द्वारा नियुक्त किए गए अन्य कर्मियों के लिए लागू होगा । ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अनुबंधित कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देगा तथा साथ ही अन्य वैधानिक अनुग्रह जैसे EPF, EDLI, ESI (जहां लागू हों) सरकारी नियमों और विनियमों के साथ समय-समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा । वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा कर्मियों के लिए वर्दी तथा दिन-प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं जैसे टार्च, सैल तथा छड़ी आदि उपलब्ध करवाएगा ।

2. **वर्दीः** ठेकेदार सुरक्षा कर्मियों तथा बाहर कार्य करने वाले अन्य कर्मियों को उनके कार्य के अनुसार वर्दी उपलब्ध करवाने को जिम्मेवार होगा, जो डयूटी घण्टों के दौरान जरूरी होगी।

प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के आधार पर जरूरतानुसार उपलब्ध करवाई जाने वाली वर्दी का विवरण निम्न है :

- i. एक कमीज और पतलून
- ii. जूते की जोडी
- iii. एक जर्सी/स्वेटर पूलओवर
- iv. एक जैकेट
- v. टोपी और पेटी
- vi. स्कार्फ, टार्च, सैल, लाठी, बालम, सीटी तथा लेखन सामग्री आदि
- vii. अन्य गर्म कपडे जो सर्दियों के लिए आवश्यक है।
- viii. रेन कोट/बरसाती

# कर्मियों की तैनाती

सुरक्षा कर्मियों एवं अन्य कर्मियों की तैनाती निम्न होगी

<b>क्र</b> स	श्रेणी	व्यक्तियों की	तैनाती का स्थान
		संख्या	
1.	सुरक्षा कर्मी (बिना	02	   हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, पंथाघाटी,
	हथियार)		जिमल
2	विद्युतकर्मी (अर्छ-कुञ्चल)	01	Text 1 × ·
3	प्लम्बर (अर्छ-कुञ्चल)	01	
4	सफाईवाल (अकुशल)	01	
5	सुरक्षा कर्मी-कम कुक	01	
	(बिना-हथियार)		
6	चালক (কুগ্নল)	04	चालकों का मुख्यालय हिमालयन वन
			अनुसंधान संस्थान,पंथाघाटी, श्रिमला में होगा
			और वे वाहन को जरूरतानुसार भारत के
			किसी भी स्थान में गाड़ी चलाने हेतु
			उत्तरदायी होंगे ।
	क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र		
i)	मजदूर (अकुश्चल)	22	Nagbani Nursery Jammu= 01, VVK Leh-01 Jagatsukh, Manali=03, Tabo=02, Shilly (Solan) =03, Shillaru=03, Model Nursery Baragaon=02, FRS, Birplassi (Nalagarh) =02, Potter Hill-03. HPSFD Nursery, Kothi-01 and Nichar-01
ii)	चौकीदार/सुरक्षा कर्मी	01	VVK Leh-01.

### नोटः

- अ) डयूटी का समय और शिफ्ट आवश्यकता के अनुसार प्रचिकत श्रम कानूनों का ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।
- ब) सुरक्षा कर्मी, चारूक, प्लम्बर, विद्युत्तकर्मी, चौकीदार, सफाई वाला एवं मजदूरो की संख्या को अनुमानित कार्य के आधार पर समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकता है।

Category wise minimum rates of wages payable as per order No. 1/43(7)/2016-LS-II dated 30.09.2016, No. 1/43(3)/2016-LS-II dated 30.09.2016, No. 1/43(6)/2016-LS-II dated 30.09.2016 and No. 1/43(1)/2017-LS-II dated 20.04.2017 issued by Chief Labour Commissioner ©, Govt. of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi.

क्र.सं.	श्रेणी	दरें प्रति दिन (साप्ताहिक अवकाश को सम्मिलित कर)	प्रति माह मजदूरी (दरें प्रति दिन x 26)
		( )	( )
1	सुरक्षा कर्मी (बिना हथियार)	506/-	13156/-
2	चাতক (কুত্মত)	506/-	13156/-
3	सफाईवाला (अकुश्नल)	359/-	9334/-
4	विद्यु कर्मी (अर्छ-कुञ्चल)	420/-	10920/-
5	प्लम्बर (अर्छ-कुञ्चल)	420/-	10920/-
6	सुरक्षा कर्मी-कम कुक (बिना-हथियार)	506/-	13156/-
7.	मजदूर, (अकुञ्चल)	308/-	` 8008/-

उपरोक्त दरें साप्ताहिक अवकाश को सिम्मिलित कर हैं।

### EPF,EDLI, & GST की वर्तमान दरें

EPF +EDLI = @ 13.36%

GST = @ 18%

### क्वालीपाइंग बिड के लिए प्रोपार्मा/ प्रपत्र

1.	नि	विदाकार का नाम
2	अ)	पत्रााचार का पत्ता
	ৰ)	अनुबंध व्यक्ति (यों) का नाम पते के साथ
	स)	निविदाकर्ता की जिम्मेदारी पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के
		नाम, पदनाम व पते के साथ (इसके बाद बोलीदाता के रूप में कहा जाता
		ਫੈ)
3.	अन्य	जानकारीः
	क)	निविदाकर्ता का टैलीपोनिक पता
	ख)	निविदाकर्ता के नाम पर पंजीकृत टेलीफोन नं
		(कृपया नवीनतम भुगतान बिल की प्रति संलग्न करें)
	ग)	निविदाकर्ता का पैक्स नं०
	ਬ)	निविदाकर्ता का ई मेल का पता
	ਭ)	वेबमेल पता, यदि कोई हो
4.	निविद	ग्नकर्ता के नमूना हस्ताक्षरः
	1 11 -1	
हस्ता	क्षर	
5.		निविदाकर्ता के मुख्यालय का स्थानः
		स्थानीय शाखा कार्यालय का पताः
	ग)	स्थापना की तिथिः
6.	निविव	ाकर्ता का सरकार के साथ पंजीकरण संख्या, यदि कोई हैः
		(कृपया प्रमाण पत्र की एक प्रति
	संलग्न	न करें)
7.	निविव	वकर्ता की प्रोपाइरू एवं विस्तृत सेट-अपः
		नी के बोशर बकलेट आदि भी संलग्न करें यदि उपलब्ध हों)

8. निविदाकर्ता द्वारा नियोजित नियमित कर्मचारियों की कुल संख्याः

नियमित	अधिकारी	की संख्या	गैर अ	धिकारी
कर्मचारी	भूतपूर्व सैनिक	असैनिक	भूतपूर्व सैनिक	असैनिक
निविदाकर्ता				
कार्यालय				
फील्ड स्टाफ				

9. \_\_\_\_\_ शाखा कार्यालय में निविदाकर्ता द्वारा नियोजित नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या, यदि कोई होः

नियमित	अधिकारी	की संख्या	गैर अ	धिकारी
कर्मचारी	भूतपूर्व सैनिक	असैनिक	भूतपूर्व सैनिक	असैनिक
निविदाकर्ता				
कार्यालय				
फील्ड स्टाफ				

- 10. निविदाकर्ता का नाम और योग्यता (व्यावसायिक योग्यता सहित) और वरिष्ठ अधिकारियों और सलहकारों का अनुभव ।
- 11. निविदाकर्ता का पिछले पांच वर्षों का वित्तीय कारोबार

वर्ष 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014			
<ul><li>14. नवीनतम आय</li><li>15. सेवा कर पंजी</li></ul>	EDLI पंजीकरण प्रमाण प कर रिटर्न करण प्रमाण पत्र		
	हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय  रा पिछले पांच वर्षों में ी		
क्रमांक ग्राहक टेली पो	का विवरण, पता, न नंबर, फैक्स, ई-मेल के साथ	अनुबंध की राशि	अनुबंध की अवधि
(स्थान अपर्याप अ) वर्तमान ब) अतीत	अतीत ग्राहकों की विस्तृत न होने पर एक अलग सृ	्ची संलग्न कर सकते	,
(जिन निविदाव	े <b>35000</b> /- डी०डी०संख्या गरों की EMD पहले कार्या होगी । उन्हें EMD दोबा	ालय में प्राप्त हो गई	है, वह इस टैंडर के
19. पेश्नेवर क्षमता दस्तावेजी सबू निविदाकार के हस्ताक्ष		न या अतीत की	कोई अन्य जानकारी
निविदाकार का नाम			
निविदाकार का पदना	f		
पता	·		

#### भाग II: वित्तीय बिड

#### हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, श्रिमला

#### बित्तीय बिड

### सभी दरें केवल रूपए मे हों प्रतिश्चत (%age) में नहीं

<b>क्र</b> .सं.	श्रेणी	घटक		
		प्रति माह न्यूनतम	सेवा शुल्क	कुल
		मजदूरी	(प्रतिञ्चत में न भरें केवल	
		(साप्ताहिक अवकाश को सम्मिलित कर)	रूपए में ही भरें) (ज्रून्य सेवा ज़ुल्क स्वीकार्य नहीं	
		(`)	(श्रून्य सर्वा श्रुल्क स्वाकाय नहां है)	
1.	सुरक्षा कर्मी (बिना हथियार)			
2.	चालक (কুগ্নল)			
3.	सफाईवाल (अकुञ्चल)			
4	विद्यु कर्मी (अर्छ-कुञ्चल)			
5	प्लम्बर (अर्छ-कुशल)			
6	सुरक्षा कर्मी-कम कुक (बिना-			
	हथियार)			
7	मजदूर, (अकुञ्चल)			

#### नोटः

- 1. मासिक मजदूरी दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलब्ध करवाई गई है जिसमें एक साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है ।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी सहबद्ध बीमा श्रुल्क (EDLI) वर्तमान लग्रू नियमों के अनुसार 13.36% की दर से लिया जाएगा ।
- 3. वेतन पर, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी सहबद्ध बीमा श्रुल्क (EDLI) पर नियमानुसार 18% वस्तु एवं सेवा कर लिया जाएगा ।
- 4. सरकार के आदेशानुसार भविष्य में न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की जा सकती है । यदि न्यूनतम मजदूरी में संशोधन होता है तो यथानुसार वृद्धि की मजदूरी में वृद्धि का दावा किया जाएगा ताकि श्रमिकों को न्यूनतम संशोधित मजदूरी का भुगतान किया जा सके ।
- 5. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) ,कर्मचारी सहबद्ध बीमा शुल्क (EDLI) तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर में कोई वृद्धि होने की स्थिति में उसी के अनुसार दावा किया जाएगा । सेवा शुल्क की वृद्धि में कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
- 6. मजदूरी में 18% से अधिक वस्तु एवं सेवा कर (GST), EPF], EDLI एवं सेवा ग्रुल्क को मासिक बिरू से काटा जाएगा तथा सेवा पाने वाली संस्था (HFRI, Shimla)द्वारा जमा करवाया जाएगा ।

(बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर)

### नियम व शर्ते

#### 1. निविदा प्रपत्र प्राप्ति बारे

- क) भारत के केन्द्रीय खरीद पोर्टल एनआईसी की वेबसाइट <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app.">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> (सीपी पोर्टल) पर हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला में मजदूर की सेवाएं संविदात्मक आधार पर लेने के लिए ऑन लाईन दो बोली प्रणाली बिड आमंत्रित कर रहे हैं । मैनुअल बोली किसी भी मामले में स्वीकार नहीं की जाएगी ।
- ख) केवल सीपीपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड बोलीदाता ही ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं । इसलिए, संभावित बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app.">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> पर उनका पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए । आगामी संदर्भ हेतु बोलीदाता <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app.">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> पर उपलब्ध "बोलीदाताओं मैनुअल किट" (Bidders Manual Kit) चैक कर सकते हैं ।
- ग) निविदा दस्तावेज हिमालयन वन अनुसंधान संस्था संस्थान की वेबसाइट <a href="http://hfri.icfre.gov.in">http://hfri.icfre.gov.in</a> व <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app.">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> से महत्वपूर्ण तिथियों के अनुसार डाउनलेड कर सकते हैं । निविदाकर्ताओं को संस्थान से कोई भी हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी । निविदाकर्ताओं को निविदापार्म का शुल्क रूपये 590 डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑडर के रूप में निदेशक, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमल्म (Director, HFRI, Shimla) के नाम बनाना होगा । निविदा शुल्क निविदा खोलने की निर्धारित तिथि से पहले इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए तथा इसकी स्केन प्रति सीपीपी पोर्टल में पूर्ण निविदा के साथ लगानी आवश्यक होगी ।

#### 2. निविदा जमा करने बारे

- क) बिड को केवल <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app.">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> पोर्टल पर ही प्रस्तुत करना होगा । निविदाकर्ता/ ठेकेदार को सलह दी जाती है कि <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app.">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> पर E-Procurement के लिए 'केन्द्रीय प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बिड की ई प्रस्तुत करने के लिए निविदाकर्ता/ ठेकेदारों के लिए निविद्या' के निविद्यां का पालन करें ।
- ख) एक निविदाकर्ता/ ठेकेदार और निविदाकर्ता/ ठेकेदार जिनके व्यापार सम्बन्ध हो द्वारा एक से ज्यादा निविदा प्रस्तुत नहीं की जाएगी । इस शर्त का उल्लंघन करने पर दोनो पार्टियों की निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएंगी ।
- ग) <a href="http://hfri.icfre.gov.in">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> से डाउनलेड की गई निविदा (बीओक्यू) को किसी भी तरह संशोधित नहीं करना होगा । डाउनलेड की गई निविदा किसी भी तरीके से संशोधित पायी जाती है तो आपकी निविदा

खारिज कर दी जाएगी और ईएमडी भी जब्त कर की जाएगी। भविष्य में आप पर संस्थान के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा ।

- घ) इच्छुक निविदाकर्ताओं को सलह दी जाती है कि निविदा में किसी भी प्रकार के शुद्धिपत्र/ परिशिष्ट/ संशोधन के लिए निविदा प्रस्तुत करने से कम से कम तीन दिन पहले <a href="http://hfri.icfre.gov.in">http://hfri.icfre.gov.in</a> व <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app.">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> वेबसाइट का पुनः अवलोकन करें ।
- ड) पूरी निविदा महत्वपूर्ण डेट श्नीट में उल्लेखित तिथि व समय से पहले सीपीपी पोर्टल पर अपलेड किया जाना चाहिए । महत्वपूर्ण डेट श्नीट में उल्लिखित तिथि व समय के पश्चात कोई भी निविदा सीपीपी पोर्टल पर अपलेड नहीं किया जा सकता । अतः निविदाकर्ताओं को सलह दी जाती है कि उल्लेखित तिथि व समय से पहले ही निविदा को सीपीपी पोर्टल पर अपलेड करें ।
- च) निविदा दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात तकनीकी बोली और मूल्य बोली (Technical Bid and Financial Bid).। बिड के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और पेज नम्बर अंकित किया जाना जरूरी है और क्रिमक रूप से अपलेड करने से पहले दस्तावेजों की जांच कर लें। टेलीग्राम/ फैक्स/ ईमेल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।

#### 3. तकनीकी बिड

निम्निलेखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी निविदा दस्तावेज के अनुसार तकनीकी बिड के साथ निविदाकर्ता द्वारा अपलेड करना जरूरी है:

- 1. पीडीएफ प्रारूप में निविदाकार/फर्म के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित और और स्कैन की हुई कॉपी ।
- 2. पीडीएफ प्रारूप में पैन नंबर की कॉपी।
- 3. पीडीएफ प्रारूप में हस्ताक्षरित व स्कैन किए गए पिछले तीन साल के आयकर की कॉपी।
- 4. पीडीएफ प्रारूप में ई.पी.एफ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरित व स्कैन की हुई कॉपी।
- 5. पीडीएफ प्रारूप में जी एस टी पंजीकरण की हस्ताक्षरित व स्कैन की हुई कॉपी।
- 6. पीडीएफ प्रारूप में पिछले पांच साल (28.02.2018 तक) में इसी प्रकार के कार्यों के निष्पादन के दावे के समर्थन में दस्तावेजी सबूत व कम्पनी की बैलेंस शीट ।
- 7. पीडीएफ प्रारूप में हस्ताक्षरित व स्कैन निविदा शुल्क की प्रतिलिपि ।
- 8. पीडीएफ प्रारूप में हस्ताक्षरित व स्कैन ईएमडी की प्रति ।
- 9. पीडीएफ प्रारूप में ईएमडी छूट प्रमाण कर स्कैन की हुई कॉपी, यदि निविदाकार्ता पर लागू हो ।

- 10. पीडीएफ प्रारूप में ई.पी.एफ, ई.डी.एल.आई., जी.एस.टी. के पिछले चालान की प्रतियां ।
- 11. पीडीएफ प्रारूप में वार्षिक वित्तीय टर्नओवर की अंडरटेकिंग ।
- 12. पीडीएफ प्रारूप में आवासीय पता संबंधित दस्तावेज-बिजली/टैलीफोन/पानी बिल इत्यादि की प्रति ।
- 13. हस्ताक्षरित व स्कैन किए गए जी एस टी एन नं० की कॉपी।

### 4. मूल्य बिड

वित्तीय बिड बीओक्यू के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ सीपीपी पोर्टल में एक्सेल वर्कशीट में अपलेड की जाए।

वित्तीय प्रस्ताव वाणिज्यिक विड प्रारूप <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app.">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> पर इस निविदा दस्तावेज़ के साथ एक्सेल वर्कशीट में बीओक्यू के रूप में उपलब्ध है । निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि विड में बीओक्यू जैसी है वैसी डाउनलोड करने के पश्चात आप अपनी बिड की दरें निर्धारित कॉल्म में भरकर इसे वाणिज्यिक बिड में अपलोड करें । डाउनलोड की गई निविदा किसी भी तरीके से संशोधित पायी जाती है तो आपकी निविदा खारिज कर दी जाएगी और ईएमडी भी जब्त कर ली जाएगी । ऐसा निविदाकर्ता इस संस्थान के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा ।

- क) दरें भारतीय रूपये में ही दर्शाएं (Quoted) ।
- ख) दरें केवल वित्तीय बिड (बीओक्यू एक्सेल वर्कशीट) में ही अंकित (Quoted) करें, निविदा पोर्म में किसी अन्य जगह पर अंकित (Quoted) न करें।
- ग) यदि किसी मामले में दरें निविदा फोर्म में अंकित (Quoted) करते हैं तो ऐसी निविदा तुरंत खारिज कर दी जाएगी ।
- घ) दरें सभी प्रकार के टैक्स (जी॰एस॰टी॰ दर को छोडकर) को सिम्मिलित कर उद्धृत (Quoted) की जाएं । वैधानिक टैक्स, फीस इत्यादि की दरें संशोधित होने पर इसके भुगतान की जिम्मेंवारी निविदाकर्ता की होगी ।
- ड) यदि अंको और शब्दों में दर्शाई गई (Quoted) दरों में विसंगति/ अंतर होता है तो शब्दों में दर्शाई गई (Quoted) दरों पर विचार किया जाएगा ।
- च) टीडीएस का भूगतान कटौती के बाद भारत के किसी भी बैंक में कर दिया जाएगा ।
- छ) निविदाकार द्वारा अंकित (Quoted) दरें अनुबंध की पूर्ण अविध के लिए मान्य होंगी और किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा ।
- ज) निविदाकार द्वारा दर्शाए गए सेवा शुल्क नियोजित व्यक्तियों के लिए व्यापक बीमा कवर के साथ होना चाहिए ।

#### 5. निविदा के लिए योग्यता

- i) केवल <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app.">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> पर पंजीकृत निविदाकार ही ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं । इसिलए, संभावित बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app.">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> पर उनका पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए । आगामी संदर्भ हेतु बोलीदाता <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app.">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> पर उपलब्ध "बोलीदाताओं मैनुअल किट" (Bidders Manual Kit) चैक कर सकते हैं ।
- ii) निविदाकार पिछले पांच साल (28.02.2018 तक) में इसी प्रकार के कार्यों के निष्पादन के दावे के समर्थन में दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करें।
- iii) पिछले पांच साल का औसत वार्षिक वित्तीय टर्न ओवर कम से कम 15 लाख होना चाहिए ।

#### 6. ईएमडी जमा करने बारे

- i) निविदा के साथ ईएमडी रूपये 35000.00 का बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर शिमल स्थित किसी भी बैंक में देय हो, निदेशक, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला के नाम बना होना चाहिए तथा कार्यालय में निविदा खुलने से पहले पहुंच जाना चाहिए जिसकी स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करें। (जिन निविदाकारों की EMD पहले कार्यालय में प्राप्त हो गई है, वह इस टैंडर के लिए भी मान्य होगी। उन्हें EMD दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है)
- ii) असफल निविदाकारों द्वारा प्रस्तृत की गई ईएमडी तत्काल लौटा दी जाएगी।
- iii) सफल निविदाकार को रूपये 85000.00 का परफोर्मेंस सिक्योरिटी (Performance Security) बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर शिमल स्थित किसी भी बैंक में देय हो, निदेशक, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमल के नाम बना हो इस कार्यालय में जमा करवाना होगा । निविदा अविध की सफल समाप्ति तथा अनुबंध की दोष दायित्व अविध पूर्ण होने पर ही परफोर्मेंस सिक्योरिटी (Performance Security) निविदाकार को लैटाई जाएगी । दोष दायित्व अविध अनुबंध पूर्ण होने के 60 दिन तक रहेगी । परफोर्मेंस सिक्योरिटी (Performance Security) पर ब्याज देय नहीं होगा । निविदाकार के अनुरोध पर ईएमडी को परफोर्मेंस सिक्योरिटी (Performance Security) में समायोजित किया जा सकता है ।

#### 7. निविदा खोलना

- अ) निविदा क्रिटिकल डेट शीट में उल्लेखित तारीख/ समय पर खोली जाएगी ।
- ब) निविदा खोलने के समय निविदाकार को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है । निविदाकार विभिन्न निविदाकारों द्वारा उद्धृत (Quoted) दरें सीसीपी पॉर्टल पर

ऑनलाईन विड खुलने के पश्चात देख सकते हैं । संस्थान में उद्धृत (Quoted) दरें बताने के लिए प्राप्त प्रार्थनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा ।

- स) तकनीकी निविदा को ऑनलाईन खोलने के बाद, उनके परिणाम और प्राइस बिड खोलने की तिथि बारे भी सूचित किया जाएगा ।
- डं) वित्तीय बिड का आकल्न कुल राशि के आधार पर किया जाएगा ।

### 8. निदेशक, हि.व.अ.सं., शिमल को अधिकार है :

- i) पूरी निविदा या निविदा के किसी हिस्से को स्वीकार या अस्वीकार करने का
- ii) निविदा को आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार करने का ।
- iii) निविदा नोटिस को रद्द करना या वापिस लेना ।
- iv) निविदा की conditions के किसी भी विचलन (deviation) को बिना किसी कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करना

#### 9. निविदा प्रपत्र भरने की प्रकिया

निविदा प्रपत्र भरने की प्रकिया को <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app.">https://eprocure.gov.in/eprocure/app.</a> साइट से पढ़ा या डाउनलोड किया जा सकता है, तददानुसार निविदा को पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है। तकनीकी बिड व वित्तीय बिड अलग अलग BOQ पर अपलोड करें।

#### 10. प्रस्ताव की वैधता

- क) निविदा में दिया गया प्रस्ताव निविदा खुलने के पश्चात स्वीकृति के लिए तीस दिन तक मान्य होगा ।
- ख) निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पश्चात अवांछित पत्राचार निविदा को अवैध करने के लिए उत्तरदायी होगा । इसलिए निविदाकारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि अधिसूचित समय के बाद कोई अनावश्यक पत्राचार न करें ।
- ग) निविदा खुळने के बाद किसी प्रकार के परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमित नहीं दी जाएगी ।
- घ) टेलेक्स, तार या फैक्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- ड) निविदा वैध होने के लिए, निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्या वे एक मात्र मालिक/ निर्माता/ प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में हस्ताक्षर कर रहे हैं या प्राधिकृत डीलर/प्रतिनिधि के रूप में (सबूत के साथ) । जहां आवश्यक हो, निविदा के साथ प्राधिकरण पत्र नहीं लगा होगा ऐसी निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

#### 11. सफल निविदाओं की आपूर्ति का निष्पादन

- क) कार्यआदेश जारी होने पर निविदाकार को निर्धारित समय के भीतर सेवाएं उपलब्ध करवानी होंगी अन्यथा ईएमडी जब्त कर की जाएगी और ऐसी निविदाकार को ब्लैकिलिस्टिड कर दिया जाएगा ।
- ख) भृगतान केवल संतोषजनक सेवाएं उपलब्ध करवाने पर ही किया जाएगा।
- ग) हि.व.अ.सं. पूरी निविदा या निविदा के कुछ भाग का आदेश करने का अधिकार रखता है । इसिलए एक निविदा के एक या एक से अधिक कार्यआदेश हो सकते हैं ।
- 12. सेवाओं का निष्पादित निविदा प्रपत्र में अल्लेखित विशिष्टता एवं कार्यआदेश के अनुरूप ही होना चाहिए । निदेशक, हि.व.अ.सं., शिमल ऐसी निविदाओं जो विनिर्देशों के अनुसार नहीं पाई जाती हैं को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
- 13. दर्शाए गए प्रपत्र पर आवश्यक प्रयोजन के लिए अपर्याप्त जगह होने पर अतिरिक्त पेज जोडा जा सकता है । ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त पेज निविदाकर्ता द्वारा गिने जाने चाहिए एवं हस्ताक्षरित होने चाहिए । ऐसे मामलों में अतिरिक्त पृष्ठों का संदर्भ निविदा प्रपत्र में जोड़ा जाना चाहिए ।
- 14. व्यक्ति, जो निविदा और निविदा से संम्बन्धित दस्तावेज हस्ताक्षरित कर रहा है, यह आवश्य निर्दिष्ट करें कि वह हस्ताक्षरः
  - i) पर्म का एकमात्र मालिक और मालिक का प्राधिकृत व्यक्ति (Power Attorney).
  - ii) यदि यह एक साझेदारी है, तो वह साझेदारी के व्यवसाय के विषय में विवाद पर मध्यस्थता करने का उल्लेख करने का अधिकार या तो सांझेदारी समझौते के आधार पर या वकील की शकित के आधार पर ।
  - iii) यदि एक कम्पनी है तो फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति (Power Attorney).।

#### **N.B.I.:**

पावर ऑफ अटार्नी, किसी भी स्थिति में, जो कि नोटरी पिटलक द्वारा दी गई हो, यिद पहले हिमालयन वन अनुसंधान को श्रपथ पत्र के रूप में मुद्रांकित कागज पर प्रस्तुत न की गई हो, प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत सभी भागीदारों द्वारा सहमित प्रकट की गई हो कि भागीदारी समझौता कार्यान्वित है तथा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत की जानी भी आवश्यक है।

iv) साझेदारी व्यवसाय के विषय में विवाद का उल्लेख करने के मामलों में किसी भी साथी पर पुष्टि की गई है फर्म जहां कोई अधिकार साझेदारी के टैंडर और

- अन्य सभी संबंधित दस्तावेजों फर्म के प्रत्येक साझेदार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए ।
- v) निविदा पॉर्म या इससे सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों को किसी अन्य की ओर से हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने का अधिकार हो ।
- 15. यदि संस्थान द्वारा सेवाएं निर्धारित मात्रा से अधिक की जाती हैं तो, निविदाकार द्वारा उद्धृत (Quoted) दरों पर दी जानी वाकी छूट का भी रूपष्ट उल्लेख किया जाए ताकि निविदाकार को तददानुसार कार्य आदेश जारी किया जा सके।
- **16.** निविदाकर्ता द्वारा जिस तिथि से सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निविदा में उल्लेख किया गया है वह निविदा में निर्दिष्ट करनी चाहिए ।
- 17. सेवाओं की आपूर्ति के लिए संस्थान के आदेश प्राप्त करने के बाद, निर्धारित अविध के भीतर सेवाओं की आपूर्ति की पुष्टि के लिए औपचारिक पत्र द्वारा तुरंत कार्यालय को सूचित किया जाएगा । पुष्टि के अभाव में निविदा का आदेश अगले निविदाकार को दिया जा सकता है ।
- 18. बैंक डिमांड ड्राफ्ट के लिए चार्ज कमीशन संबंधित निविदाकार द्वारा वहन की जाएगी और उनकी देय राशियों से काट ली जाएगी ।
- 19. निविदाकर्ता नियोजित व्यक्तियों के लिए व्यापक बीमा कवर की व्यवस्था करेगा और उसकी प्रतियां संस्थान को देगा ।
- 20. इस अनुबंध में दोष दायित्व अविध 60 दिन की होगी।
- 21. यदि कार्य आदेश का निष्पादन वैधता अविध के भीतर नहीं होता और ऐसा प्रतीत होता है कि निविदाकार की ओर से अनावश्यक देरी की जा रही है तो निदेशक, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान आपूर्ति आदेश का 10% जुर्माना अधिरोपित करने के लिए स्वतंत्र होगा और बिल की रािश से ऐसा जुर्माना काट लिया जाएगा।
- 22. हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान विलंब शुल्क/ यातायात एवं अन्य किसी प्रकार के शुल्क के लिए जिम्मेंवार नहीं होगा ।
- 23. विभिन्न सरकारी विभागों और निजी कंपनियों से कार्यों के सफल समापन रिपोर्ट के प्रमाण पत्र निविदा पत्र के साथ संलग्न किये जाने चाहिए ।
- 24. कार्य आदेशानुसार काम का निष्पादन न होने के एवं किसी प्रकार की जालसाजी होने पर निविदाकार के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है और ऐसे निविदाकार को blacklist भी कर दिया जाएगा ।
- 25. निर्धारित समयाविध में सेवाएं उपलब्ध करवाने में असफल होने पर आपूर्ति आदेश स्वतः ही रदद हो जाएंगे, जबतक संस्थान के निदेशक द्वारा नहीं बढ़ाया जाएगा ।
- 26. उचित मामलों में बिना जुर्माना लगाए सेवाएं उपलब्ध करवाने की तिथि के विस्तार की अनुमित दी जा सकती है । वैध सबूत के आधार पर मामले की योग्यता को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा ।

- 27. निविदाकार द्वारा उपरोक्त किसी भी नियम और शर्तों को तोडने पर निदेशक, हि.व.अ.सं., शिमला उन्हें दंड लगाने का व निविदाकार को blacklist करने का अधिकार रखता है।
- 28. निविदा बुकलेट में समाहित नियम और शर्तों के दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर किए जाने चाहिए अन्यथा निविदा को तुरंत रदद कर दिया जाएगा ।
- 29. निविदा पार्म और विस्तृत नियमों और शर्तों पर निविदाकार के हस्ताक्षर होने पर इन नियमों और शर्तों के अंतिम स्वीकृति के रूप में समझा जाएगा ।
- 30. निविदा के साथ भाग Ⅱ को भी भरकर एवं हस्ताक्षर के पश्चात आवश्यक सलग्न करें

### नियम और शर्तों की स्वीकृति का प्रमाण पत्र

मैंने/ हमने हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला व हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में स्थित संस्थान के विभिन्न केन्द्रों में सुरक्षा कर्मियों/ सपाई कर्मी/ प्लम्बर/ विद्युत कर्मचारी/ मजदूर आदि की सेवाएं संविदा के आधार पर उपलब्ध करवाने के लिए क्रिटिकल डाटा शीट में उल्लिखित तिथि और समय पर खुलने वाली निविदाओं में उल्लेखित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है।

मैं/ हम इनका पालन करने के लिए तैयार हैं।

मैंने/ हमने निविदा दस्तावेज पुस्तिका के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर और सील या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक पत्राचार दूरभाष नम्बर Terms and conditions of the contract for providing services of Security and Maintenance Staff for Himalayan Forest Research Institute, Shimla and its Field Research Stations in the States of H.P. & J.K.

- 1. The agreement that will be met with shall be deemed to be an Agreement between the Principal Employer and the Contractor. The Agreement shall be one for service being provided and not of service.
- 2. That the successful tender hereinafter called as the "contractor" shall execute/ perform the works contracted by him hereunder, to the satisfaction of the institute.
- 3. The Contractor shall seek instruction from the Director, HFRI, Shimla or any other officer, authorized by the Director, HFRI, Shimla for the purpose, hereinafter referred to as the "HFRI, Shimla authority".
- 4. The Contractor shall be fully responsible for the Security of the HFRI, Conifer Campus, Shimla and its Field Research Stations in the States of H.P. & J&K, structure, installations, fittings, equipments, vehicles, household appliances and materials, building material and other property owned by the HFRI or inmates residing or working in or visiting the HFRI, Campus and its Field Research Stations.
- 5. All materials excluding all tools, testing equipment required for carrying out maintenance works of various electrical facilities at HFRI, Shimla will be provided by the HFRI, Shimla. However, in case of residential quarters, fused bulbs and tube-lights shall be replaced by the residents themselves.
- 6. Qualified Electrician and Plumber having adequate experience and technical knowledge in the maintenance of the electrical equipments, electricity lines, water pumps and high capacity diesel generating set shall only be engaged by the contractor. Persons engaged by the contractor should not be child labour and also should be of good character and health. The Contractor should provide a certificate to the effect for the workers engaged by him for various works
- 7. That the main functions required to be performed by the maintenance personnel include the following:
  - (i) Semi-skilled Electrician- To perform and provide day-to-day routine electrical services for HFRI Administrative, residential and other buildings, regular checking and repair of installations, rectification of faults, addition/ alteration of electrical points/ wiring/ installations/ fittings, ensure fire safety measures due to electric sparking/ overload/ any other fault. In addition, he is expected to provide services for any other electrical services required by the institute.
  - (ii) Semi-skilled Plumber To provide services for distribution of water from main water storage tanks of the institute; plumbering related works of the Administrative/ office building/ residential quarters including new plumbering of lines, repairs of water and sewerage lines of the institute, repair and change of sewerage/ water pipes lines including taps and other related fixtures/ installations etc.

- (iii) Skilled Driver (Having valid driving licence To drive and maintain the institute vehicles in good running condition/ ensure safety of the occupants, maintain minimum prescribed mileage, minimize repair and running cost, decent behavior with the travelling officers/ scientists/ staff etc.
- (iv) Un-skilled safaiwala Regular upkeeping/ sweeping/ washing of floors of Administrative/ other buildings of the institute including cleaning of toilets/ urinals/ bathrooms, floor area and the campus in utmost decent manner to avoid any stinking and foul smell and maintain good hygiene.
- (v) Un-skilled Mazdoor Maintenance of campus, Field Research Nurseries, watering of plants, digging/ bitting work, cutting of grass and other related works to maintain the campus and research stations. Any other work as assigned by the institute/ caretaker/ Officer In-charge.
- 8. That besides the normal campus manning security functions, the other functions required to be performed for the safety of HFRI, Campus Shimla also includes the following:-
  - (i) To man security check post located at the main gates of the HFRI Conifer Campus/ its field Research Stations and at any other points specified by the HFRI authority.
  - (ii) Security personnel deployed by the Contractor shall check the material/property going out of the building/ campus through the procedure of gate pass as laid down by the HFRI authority.
  - (iii) To perform watch and ward functions including night patrolling/day patrolling including public holidays, Saturday and Sundays.
- 9. The contractor shall compensate in full the loss occurred to the HFRI or its campus inmate on account of any theft, burglary and any other kind of intrusion in the campus entrusted to him for security. The amount of loss to be compensated by the Contractor shall be determined by the Director and the same shall be binding on the Contractor. The compensatory amount will directly be deducted from his monthly bills or from security amount deposited by him with the Institute.
- 10. The contractor shall also be fully responsible for any loss or damage of material, vehicle and any other property of the HFRI, or its campus inmates arising out due to the negligence or failure of the security personnel and other categories of personnel engaged by the Contractor in complying with the prescribed procedure. The contractor shall compensate all losses suffered by the HFRI on this account in full. The decision of the Director in this regard shall be binding on the Contractor.
- 11. The Contractor shall deploy Security Guards (preferably physically fit ex-serviceman or para-military forces/ Home Guards etc.) below the age of 45 yrs. only for the purpose of this contract in the HFRI. Before the security personnel report for duty or in due course, necessary documents to prove the credentials and the fact that personnel belongs to ex-servicemen category shall be produced by the Contractor before the Director HFRI, Shimla or his authorized officer. The HFRI authority shall verify the fact and only those personnel shall be deployed by the Contractor on duty in whose case documentary proof has been rendered to the satisfaction of the authority. In additions to this, if any of the security personnel deployed is found to be unsatisfactory, even though he is an ex-serviceman, he shall have to be withdrawn by the Contractor within

24 hours. No wages shall be payable in respect of such security staff in whose case documentary evidence in support of their being ex-servicemen is not rendered in time by the Contractor. A complete list of the security personnel engaged by the Contractor for deployment in HFRI, Shimla shall be furnished by the Contractor alongwith complete address and other antecedents. The Contractor shall deploy only those whose antecedents have been verified by the police authorities.

12. The Contractor shall be responsible to pay the wages to the personnel deployed as per current rates laid down by the Govt. of India or State Government of H.P. under the minimum Wages Act, 1948 (whichever is higher). In case of revision of minimum wages by the competent authority, as also of the employer's contributions towards EPF, EDLI the pro-rata increase in the rates will be acceptable to the HFRI authority. It shall be the responsibility of the Contractor to ensure that the security personnel or other categories of personnel, as the case may be deployed by him at no point of time will be paid less than the minimum rates of wages as prescribed and revised from time to time for the respective categories.

Bill shall be raised by the contractor in accordance with the rates quoted by him and approved by Director, HFRI, Shimla on last day of every month and submitted for payment to HFRI authority. Delay in submission of bill will not amount to delay in payment of person deployed.

The Contractor will also ensure that the personnel deployed by him are paid the wages for the previous month on or before the expiry of 7<sup>th</sup> day of the subsequent month, without deduction of any kind except those authorized by or under Minimum wages (Centre) Rules, 1950. Wages will be deposited in the bank account of the personnel deployed and no cash payment will be made. Penalty may be imposed if lapse is found.

The copy of necessary documents showing that the wages in full has been paid for the previous month to the workers engaged by him in HFRI (with signature/ thumb impression of workers) should be attached with the bill as a proof.

A register of wages shall be maintained by the Contractor at the work spot in Form X.

Contractor shall get the signatures or thumb impression of every person employed, on the register of wages and wage slip.

- 13. The number of security personnel and other categories of personnel required can vary subject to requirements. The HFRI authority shall fix timings of the various duty shifts. A single duty shift will have a normal duration of 9 (nine) hours.
- 14. The contractor shall submit weekly duty chart of the security personnel to the HFRI authority prior to commencement of the week. He shall also submit the daily attendance sheet of the security personnel for the previous working day. The principle of "No Work –No Pay" shall be followed while making payment of wages to the personnel deployed by him.
- 15. The Contractor shall not replace the security and other personnel at random. This shall be done with the prior knowledge of the HFRI authority and full particulars of the security and other personnel so deployed shall be given to the HFRI authority. In case

any of the security and other staffs found to be posted without the prior knowledge of the HFRI authority, the HFRI shall not be liable to pay for such security and other personnel.

- 16. No leave of any kind to the security and other personnel shall be sanctioned by the HFRI authority. The Contractor shall be liable to make substitute arrangements in case of the absence of the security personnel and other personnel. The Contractor shall man all the security check posts and other locations as specified by the HFRI authority on all the weekdays. No short leave or meal relief shall be permitted to the security personnel unless the Contractor provides suitable substitute and that too without any extra payment.
- 17. The Contractor shall ensure that at no time any security point is unmanned. Performance of duty in two shifts by the same guard on a day shall not be permitted. However, in an emergent case exception can be made with the prior approval of the HFRI authority to the extent of one person in any one of the shifts but the payment to such a person for the extra shift be at the rates applicable for normal shift.
- 18. The Contractor shall arrange to dress all the security personnel and other categories of personnel which require uniforms on duty smartly and neatly on the pattern of the uniformed services and ensure their good behavior with the HFRI establishment and visitors. They shall abstain from taking part in any staff union and association activities. The Contractor shall provide as a part of dress, appropriate woolen garments to the security personnel as well as to the other categories of personnel which require uniform in winter season. The security personnel and other categories of personnel shall not be permitted to wear any odd wrappings. The dress shall be of uniform colour and design. The Contractor shall ensure that during the rainy season raincoat is given to the security personnel along with umbrellas. The Security personnel should always be standing at the gate check posts where actually deployed to monitor the movement at the gates. If at any point of time any security guard is found sitting or lacking in his duty, a sum of Rs. 100.00 (One hundred only) shall be fined to the contractor for each such complaint.
- 19. The HFRI shall not be liable to provide residential accommodation to the security personnel or the other categories of personnel. No cooking or lodging shall be allowed to the security personnel and other workers engaged by the Contractor at any place inside the campus or at field stations.
- 20. The Contractor as envisaged in Payment Terms hereto shall bear expenses incurred on the following (eg.):
  - i) Providing torches and cells to the security guards on night patrol.
  - ii) Providing lathi/ ballam and other implements to the security personnel.
  - iii) Stationary for writing duty charts and registers at the security checkpoints for making entries of the visitors, vehicles, etc. The register use and those in use will be property of the HFRI.
  - iv) Barriers provided at the security checkpoints after taking approval from the HFRI.

- v) All Security Guards shall be provided with nameplates, which shall be displayed on their breast/ chest- height.
- vi) Provide i-Card to the personnel of all categories.
- 21. The HFRI authority reserves the right to change the deployment of security personnel. The HFRI also reserves the right to ask for replacement of particular security personnel or other categories of personnel deployed by the Contractor.
- 22. The security personnel and other categories of personnel deployed by the Contractor shall be bound to observe all instructions issued by HFRI authority concerning general discipline and behavior.
- 23. The HFRI authority has the right to check the various implements/ torches etc. and the contractor shall maintain these items to the satisfaction of the HFRI authority.
- 24. That for all intents and purpose the Contractor will be "Employer" within the meaning of all labour legislations in respect of the security personnel and other categories of personnel so deployed by him.
- 25. The Contractor shall be responsible for recruitment of the personnel for the purpose of this contract, and the security personnel and other categories of personnel so recruited and deployed by him shall be under his direct control/ supervision.
- 26. In case the security personnel and other categories of personnel deployed by the Contractor commit/ commits any act of omission or commission constituting their/ her/ his misconduct or indiscipline, the Contractor will be liable and responsible to take disciplinary action against the personnel.
- 27. The Contractor will be responsible and liable for the implementation of all the statutory provisions as regards security and other personnel to be deployed by him in respect of minimum wages, Employees' Provident Funds, EDLI etc. as and when they become applicable under the Law. The contractor shall maintain all the statutory registers under the law. The Contractor shall produce the same on demand to the HFRI authority or any other authority under law. The Contractor will obtain a licence under the Contract Labour (R&A) Act, 1970 and produce a copy of the same to HFRI authority, In case, the previous month's challan pertains to EPF, EDLI do not accompany the bill as a documentary proof, a requisite portion of amount shall be held up till such proof is produced.

In case the Contractor fails to comply with statutory obligations under any Labour Laws, and the HFRI is put to any obligation, monetary or otherwise, the HFRI will be entitled to get it reimbursed from the bill or the security deposit of the Contractor or otherwise, to the extent of the obligations in monetary terms.

- 28. The HFRI shall not be responsible financially or otherwise for any injury or death to the security personnel or other categories of personnel in the course of their performing the security or other duties. In case, compensations are awarded by the Court of Law, it shall be the responsibility of the Contractor.
- 29. The Contractor shall not be permitted to sublet, transfer or assign his rights and obligations under this contract to any other person or organization.
- 30. Time shall be the essence of the contract and the duration of this contract shall be for a period of twelve months from 01.06.2018 to 31.03.2019. The term shall be extendable for further period after judging the performance of the contractor, as per terms and

conditions with effect from 31.03.2019 except in the event of earlier termination under these terms. The contract shall automatically expire on 31.03.2019 unless extended further by mutual consent of the parties. The dates herein will be decided after issue of work order by the competent authority.

- 31. Director has absolute right to terminate the contract at any time before the due date of expiry specified in clause 30 hereinabove, without assigning any reason by giving one month's notice in advance to the contractor in writing. The Director shall also have the right to extend the contract in writing on same terms and conditions with some addition/ deletion for a further period of six months or for a shorter period until such time as a new security agency takes over in the event of HFRI resorting to the process of appointing a fresh contractor.
- 32. In the event of the Contractor desiring an earlier termination of the contract, he shall have compulsorily to give three months advance notice to the Director. In that case only 75% of the security deposit will be reimbursed to contractor.
- 33. The Contractor is bound by the details and documents as furnished by him to the HFRI while submitting the tender or at any other time. In case any of the details of such documents furnished by him is found to be false at any stage, this would be deemed to be a breach of the terms of contract making him liable for action under clause 34 hereof.
- 34. In case of breach of any of the terms of agreement, the security deposit of the Contractor is liable to be forfeited by the Director. The Director against any amount, which the Contractor may owe to the HFRI, can appropriate any sum of money due or payable to the Contractor including the security deposit refundable to him under the contract.
- 35. The Contractor will ensure that no unauthorized entry is permitted inside the campus and the guards at the entry points are able to categories the legitimate residents and visitors without causing any embarrassment or discourtesy. The security personnel, in event of not being able to categories the legitimate residents, shall contact the host/guest in the estate of HFRI through telephone. Each complaint of outsider found imparting Vehicle Driving Training inside the campus of HFRI or outsiders found playing inside the Lawns of HFRI shall fetch a fine Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) to the contractor.
- 36. Entry of stray dogs and stray cattle into the campus is to be prevented by the deployed security staff.
- 37. It should be ensured that trees, flowers, plants and grassy lawns are not damaged either by the campus inmates or by outsiders.
- 38. All personnel employed by the Contractor shall be bound to provide full help in extinguishing any fire that breaks out anywhere in the HFRI campus/ Field Research Stations.
- 39. In the event of any malpractice on the part of the Contractor or his employees, vis-à-vis any HFRI staff or otherwise, the contract shall be liable to be terminated.
- 40. The performance of security functions and other services under the contract will be reviewed by the HFRI Authority at 3.00 p.m. on the second day of every month and the Contractor will remain present personally through an authorized representative. In the

event of the second day of the month being a holiday, the meeting shall take place on the next working day.

- 41. Income Tax will be deducted at source as per Income Tax Law and the TDS certificate to this effect shall be issued to the Contractor by the HFRI.
- 42. The Contractor will have to deposit performance security money of Rs. 85,000 (Rupees eighty five Thousand only) in the form of Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt from a commercial bank, Bank Guarantee from a Commercial Bank in an acceptable form for the entire contract period and for additional sixty days thereafter, in favour of the Director HFRI within 15 days of the award of contract. The Security Deposit shall be released in full only when complete handing over of security charge is made to the HFRI, in the event of completion of the contract and if no dues are recoverable from the Contractor.
- 43. The Contractor will execute an agreement with the Director, HFRI on a non-judicial stamp paper worth Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) to be provided by the contractor.
- 44. The Contractor, if any manner defaults in the performance or in making goods any losses, damages or expenses or any part thereof, then it shall be lawful for the institute to forfeit or dispose of said security deposit in and towards the liquidation of liability of the contractor in respect of such defaults. Further in case the institute is to put any monetary loss or liability as a result of any act of omission or commission of the contractor or personnel / personnels employed by him, the institute shall have the right to get itself reimbursed to the extent of the liability or loss out of the bills and/ or the security deposit.
- 45. Any dispute arising out of this agreement will be settled under the jurisdiction of Courts at Shimla, (H.P.).

NOTE: The tenders of only those contractors who will quote the rates for all categories i.e. Security guards, Electrician, Plumber, Safaiwala, Cook cum Security Guard, Mazdoor, Driver will be considered.

#### **Certificate of Acceptance of Terms & Conditions**

Certified that I/ we have read and fully understood the terms & conditions mentioned heretofore in respect of the tender for providing services of Security guards, Electrician, Plumber, Safaiwala, Cook cum Security Guard, Mazdoor for one year i.e. w.e.f. 01.04.2018 to 31.03.2019.

I/	we	hereby	agree	to	abide	by	all	the	terms	&	conditi	ions.

Date:

Signature & Seal of the Tenderer or his Authority signatory

Address:

Telephone No.